



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा


दिनांक 08.11.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 101 पेट्टी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप नं0 HR-63D-0197 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान डूण्डाहैडा बैरियर से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 101 पेट्टी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप नं0 HR-63D-0197 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित पुत्र कृष्ण मोहन निवासी शाहबाद मोहम्मदपुर थाना द्वारका नई दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

- 101 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप नं0 HR-63D-0197

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 516 सतेन्द्र गिरि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-का0 701 शोकेन्द्र नागर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक- 08.11.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 329/24 धारा 305/331(4) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 49 जोड़ी विभिन्न कम्पनी के जूते/चप्पल व 160 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.10.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी आशीष कुमार पुत्र बृजपाल सिंह निवासी गाँव साकरौद जनपद बागपत ने सूचना दी कि किसी अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान में से रात्रि में दीवार तोड़ कर करीब 04 लाख रुपये के जूते/चप्पल/सैन्डल /अंडर वियर विभिन्न कम्पनी के चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 329/24 धारा 305/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 329/24 धारा 305/331(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 49 जोड़ी विभिन्न कम्पनियों के जूते/चप्पल व 160 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

नोट- उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विककी उर्फ विशाल पुत्र बबलू निवासी काशीराम कॉलोनी क़स्बा खेकड़ा थाना
खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 49 जोडी विभिन्न कम्पनी के जूते/चप्पल ।
- 160 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अमरदीप सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 देवेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 442 मौ0 आफाक थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 292 सिराज ख़ॉन थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5- है0का0 452 मोहित थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 6- का0 250 कोमल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 7- का0 937 शिवम शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 8-का0 750 शेखर कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 08.11.2024

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:-बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निकित पुत्र संजीव निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 1028 मुरली थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 524 सौपाल थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 08.11.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0स0 758/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

फैजान पुत्र शहजाद निवासी विजयनगर कस्बा बड़ौत थाना बड़ौत जनपद बागपत
।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 814 अमित नागर थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 1102 सुशान्त सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

